"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 202] रायपुर,, भाुक्रवार, दिनांक 30 जुलाई, 2007 — आशाढ़ 11, शक 1929

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग

जी.ई.रोड, सिविल लाईन्स, रायपुर — 492001

रायपुर, दिनांकः 20 जुलाई 2007

क्र. 21 / छ.रा.वि.नि.आ. / 2007। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने विद्युत अधिनियम 2003 (वर्ष 2003 का क्रमांक (36) की धारा 39 (2) (d), 40 (c), 42 (2,3), 86(1)(c) सहपठित धारा 181 (2)(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (छत्तीसगढ़ राज्य में राज्यांतरिक मुक्त उपयोग) विनियम 2005 बनाया था । इन विनियमों के विगत दो वर्षो के क्रियान्वयन के आधार पर कतिपय संशोधन आवश्यक हो गये है । ये विनियम कतिपय संशोधनों को ध्यान में रखकर तैयार किये गये है। ये विनियम, जो प्रधान विनियम के खण्ड 25 द्वारा प्रदात अधिकारो का प्रयोग करते हुए बनाये गये है, पूर्व प्रकाशन हेतु आयोग द्वारा निर्धारित रीति से प्रकाशित किये गये है। सभी आपत्तियों, दृष्टिकोण, सुझावों और अनुतोषो पर विचार करने के उपरांत आयोग ने विनियमों में प्रथम संशोधन को अन्तिम रूप दिया है और इसे प्रथम संशोधन के रूप में निम्नानुसार अधिसूचित करता हैः—

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (छत्तीसगढ़ में राज्यांतरिक मुक्त उपयोग—प्रथम संशोधन) विनियम, 2007

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रवर्तन

(1) ये विनियम छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (छत्तीसगढ़ में राज्यांतरिक मुक्त उपयोग—प्रथम संशोधन) विनियम, 2007 कहलायेंगे।

(2) ये विनियम छत्तीसगढ़ राजपत्र में अपने प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील होंगे।

2. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (छत्तीसगढ़ राज्य में राज्यांतरिक मुक्त उपयोग) विनियम–2005 (प्रधान विनियम) के खण्ड 3 के उपखण्ड 1 के अंत में निम्नलिखित परिभाषाऐं जोड़ी जावेः–

'दिनाँक' अर्थात कोई दिनांक जो 00.00 घंटे से 24.00 घंटे के मध्य हो।

'प्रथम माह' अर्थात वह माह, जिसमें मुक्त उपयोग करना प्रारंभ किया जावे।

'मीटर' अर्थात ऐसा उपर्युक्त उपकरण जो विद्युत की खपत या वैद्युत प्रणाली से संबंधित किसी अन्य मात्रा के मापन, संकेतन और संग्रहण के उपयोग कार्य में प्रयुक्त होता है और इसमें करेंट ट्रांसफार्मर (सी.टी.), वोल्टेज ट्रांसफार्मर (वी.टी.) या केपेसिटर वोल्टेज ट्रांसफार्मर (सी.वी.टी.) जैसे अन्य उपकरण जो ऐसे उद्देश्य के लिए आवश्यक हैं भी सम्मिलित होंगे ।

'माह' अर्थात् कैलेण्डर माह।

उन सभी शब्दों एवं अभिव्यक्तियों का , जो इन विनियमों में प्रयुक्त किये गये है परन्तु परिभाषित नही है, वही अर्थ होगा जैसा कि प्रधान विनियम में है।

3. प्रधान विनियम के खण्ड 4 के उपखण्ड (3) के पश्चात निम्नलिखित नये उपखण्ड (4) से (12) जोडे जावेः–

(4) केवल ऐसे अनुज्ञप्तिधारी और उत्पादन कंपनियाँ, जो अति उच्च वोल्टेज/उच्च वोल्टेज ग्रिड उपकेन्द्र से संयोजित हो, मुक्त उपयोग प्राप्त करने हेतु अनुमत होंगे, परंतु व्यापार अनुज्ञप्तिधारी के लिये ये शर्ते लागू नहीं होगी ।

(5) केवल ऐसे उपभोक्ता, जो अति उच्च वोल्टेज (ई.एच.व्ही.)/उच्च वोल्टेज (एच.व्ही.) उपकेन्द्र से स्वतंत्र रूप से संयोजित होंगे, मुक्त उपयोग प्राप्त करने हेतु अनुमत होगे। परंतु, किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी से अन्यथा संयोजित कोई उपभोक्ता भी भार प्रतिबंध, यदि कोई हो, के अधीन मुक्त उपयोग प्राप्त कर सकेगा ।

(6) मुक्त उपयोग ग्राहक के पास अंतःक्षेपण बिन्दु पर आपूर्ति के दो से अधिक स्त्रोत नही होने चाहिए, जिसमें से एक उस क्षेत्र के अनुज्ञप्तिधारी का और दूसरा किसी उत्पादन कंपनी (कैप्टिव उत्पादन संयंत्र सहित) अथवा उस क्षेत्र के जहाँ से मुक्त उपयोग चाहा गया हो, अनुज्ञप्तिधारी से ईतर किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी का हो। स्वयं के उत्पादन संभंज, डी.जी. सेट आदि, जो आपात् (Standby) व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होते हों, उसे इस उद्देश्य के लिए गणना में नही लिया जावेगा।

पारेषण में मुक्त उपयोग

(7) कोई भी अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी, आवश्यक पारेषण प्रभारों का भुगतान कर राज्य पारेषण उपक्रम (यूटीलिटी)/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के पारेषण तंत्र में भेदभाव रहित मुक्त उपयोग प्राप्त कर सकेगा।

(8) अंतर्सयोजन का वोल्टेज, समय–समय पर यथा संशोधित छत्तीसगढ़ विद्युत ग्रिड संहिता के अनुसार न्यूनतम 132 के. व्ही. होगा।

(9) विद्युत मण्डल का निकटतम अतिउच्च वोल्टेज उपकेन्द्र अंतःक्षेपण और/या आहरण का बिन्दु होगा और अंतर्संयोजन की लागत आवेदक द्वारा वहन की जावेगी।

वितरण में मुक्त उपयोग

(10) कोई भी मुक्त उपयोग ग्राहक, व्हीलिंग (चक्रण) प्रभार, उपधारा (2) के अनुसार प्रतिसहायता अधिभार और अधिनियम की 42 की उपधारा (4) के प्रावधनों के अनुसार अतिरिक्त अधिभार इत्यादि, जो लागू हो, का भुगतान कर विद्युत मण्डल/अनुज्ञप्तिधारी के वितरण तंत्र का मुक्त उपयोग कर सकेगा।

(11) अंतसंयोजन का वोल्टेज, समय–समय पर यथा संशोधित छततीसगढ़ विद्युत प्रदाय संहिता, 2005 (संक्षेप में प्रदाय संहिता') के अनुसार होगा।

(12) विद्युत मण्डल का निकटतम अतिउच्च/ उच्च उपकेन्द्र अंतःक्षेपण और/या आहरण का बिन्दु होगा और अंतर्संयोजन का लागत आवेदक द्वारा मुक्त उपयोग के लिये वहन की जावेगी।

4. प्रधान अधिनियम के खण्ड 5 के उपखण्ड (1) में दी गई सारणी निम्नलिखित सारिणी द्वारा प्रतिस्थापित होः–

1.	10 मेगावाट या उससे अधिक की आवश्यकता वाले उपयोगकर्ता	01/04/2006
2.	5 मेगावाट या उससे अधिक की आवश्यकता वाले उपयोगकर्ता	01/10/2007
3.	1 मेगावाट या उससे अधिक की आवश्यकता वाले उपयोगकर्ता	01/04/2008

5. प्रधान विनियम का खण्ड 7 निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जावेः–

(1) **'मुक्त उपयोग ग्राहक'** निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किये जा सकते है, जैसे :

(ए) **दीर्घावधिक मुक्त उपयोग** :– वह उपभोक्ता, जो दो वर्ष से अधिक की अवधि के लिए मुक्त उपयोग प्राप्त करते हैं, दीर्घावधिक मुक्त उपयोग ग्राहक है।

(बी) **अल्पावधिक उक्त उपयोग** :– वह उपभोक्ता, जो एक वर्ष या उससे कम की अवधि के लिए मुक्त उपयोग प्राप्त करते हैं, 'अल्पावधिक मुक्त उपयोग ग्राहक' हैं।

(2) प्रारंभिक संविदा के अवसान के पश्चात् दीर्घावधिक एवं अल्पावधिक दोनों प्रकार के मुक्त उपयोग ग्राहक, मुक्त उपयोग के नवीनीकरण के पात्र होंगे। ऐसे नवीनीकरण का आवेदन, नया आवेदन माना जावेगा ।

परंतु वह अवधि, जिसके लिए अल्पावधिक मुक्त उपयोग प्राप्त किया गया हो, अल्पावधिक मुक्त उपयोग की पात्रता, के निर्धारण हेतु गणना में ली जावेगी, क्योंकि वह अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए अनुमत है, इसके पश्चात् नवीनीकरण करने पर उसे दीर्घअवधिक मुक्त उपयोग माना जायेगा ।

(3) राज्य पारेषण उपक्रम/विद्युत मण्डल/अनुज्ञप्तिधारी दीर्घावधिक एवं अल्पावधिक दोनो प्रकार के पारेषण और/या वितरण में मुक्त उपयोग हेतु नोडल अभिकरण होगा।

6. प्रधान विनियम के खण्ड 9 के उपखण्ड (1) विलोपित किया जावे ।

7. प्रधान विनियम के खण्ड 9(2) के प्रथम वाक्य से ''और छत्तीसगढ़ विद्युत संहिता में उपबंधित वितरण नियोजन क्षमता'' यह अंश विलोपित किया जावे।

8. प्रधान विनियम के खण्ड 9 के उपखण्ड (2) एवं (3) को पुनः क्रमांकित कर (1)एवं (2) पढ़ा जावे।

9. प्रधान विनियम के खण्ड 11 के उपखंड (1) (ए) और (1) (बी) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जावेः–

''(ए) पारेषण तंत्र के उपयोग के लिए दीर्घावधिक मुक्त उपयोग ग्राहक द्वारा आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 62 (1) (बी) के अधीन यथा निर्धारित पारेषण प्रभार देय होगा और यह समय–समय पर आयोग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार लागू होगा। किसी दीर्घावधिक मुक्त उपयोग ग्राहक द्वारा राज्यान्तरिक पारेषण तंत्र के उपयोग हेतु देय पारेषण प्रभार निम्नलिखित सूत्र द्वारा परिगाणित किया जावेगाः–
LT-TC=(ATSC/Max-CAP)/12

जहाँ :–

'LT-TC' दीर्घावधिक ग्राहक के लिए रूपये प्रति मेगावाट प्रति माह पारेषण प्रभार है।

'ATSC' अर्थात आयोग द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारित वार्षिक पारेषण प्रभार अथवा पारेषण तंत्र की वार्षिक राजस्व आवश्यकता।

'Max-CAP' अर्थात पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के राज्यांतरिक पारेषण तंत्र द्वारा परिक्षेपित अधिकतम क्षमता (मेगावाट में) ।

(बी) अल्पावधिक ग्राहक द्वारा राज्यांतरिक पारेषण तंत्र के उपयोग हेतु देय पारेषण प्रभार निम्नलिखित सूत्र द्वारा परिभषित किया जावेगाः–

ST-TC=[0.25(ATSC/Max-CAP)]/365

ST-TC अल्पावधिक ग्राहक द्वारा रूपये प्रति मेगावाट प्रति दिन की दर से देय पारेषण प्रभार',

(i) विरल पारेषण मार्ग की दशा में किसी असावधिक ग्राहक द्वारा देय पारेषण प्रभार, एक दिन में 24 घण्टे या उसके भाग को ST-TC के बराबर एक खण्ड मानकर वसूल किये जावेंगे।

(ii) अल्पावधिक मुक्त उपयोग ग्राहकों से अर्जित राजस्व का उपयोग राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अपने अधोसंरचना के विकास के लिए पूंजीगत व्यय हेतु रखा जावेगा । राज्य पारेषण उपक्रम (पारेषण अनुज्ञप्तिधारी) ऐसे राजस्व के लिए पृथक खाता रखेगा ।''

10. प्रधान विनियम के खण्ड 11 के उपखण्ड (2) (ए) (ii) को निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जावे ।

(ii) अल्पावधिक मुक्त उपयोग ग्राहकों से अर्जित राजस्व का उपयोग वितरण अनुज्ञप्तिधारी अपने अधोसंरचना के विकास के लिए पूंजीगत व्यय हेतु रखा जावेगा । वितरण अनुज्ञप्तिधारी ऐसे राजस्व के लिए पृथक खाता रखेगा ।

11. खण्ड 11 के उपखण्ड (3) के अंत में दी गई टीप को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जावे।

''**टीपः** संचालन प्रभार में अंतःक्षेपण और आहरण के लिए दी गई सारणी हेतु शुल्क और प्रणाली संचालन एवं सद्भाविक आधारों पर उक्त सारणी के प्रभावकारी पुर्ननिरीक्षण हेतु शुल्क भी सम्मिलित है ।''

12. खण्ड 11 का उपखण्ड (3) (सी) विलोपित किया जावे ।

13. प्रधान विनियम के खण्ड 11 के उपखण्ड (4) (अ) प्रथम एवं द्वितीय लाईन में आय शब्द ''सारिणी'' को ''संविदा'' से प्रतिस्थापित किया जावे ।

14. प्रधान विनियम के खण्ड 11 के उपखण्ड (6) के प्रारंभ में उपशीर्षक 'अधिभार' नये उपशीर्षक 'प्रतिसहायता अधिभार' द्वारा प्रतिस्थापित हो।

15. प्रधान विनियम के खण्ड 11 के उपखण्ड (6) (बी) में (i) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जावेः–

''(ii) ऐसे उपभोक्ता द्वारा प्रतिसहायता अधिभार भी देय होगा, जो अपने क्षेत्र के वितरण अनुज्ञप्तिधारी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति से विद्युत की आपूर्ति लेता है वह भले ही ऐसी आपूर्ति मंडल/अनुज्ञप्तिधारी के पारेषण/वितरण नेटवर्क से प्राप्त करता हो या नहीं ।''

16. उसी खण्ड का वर्तमान उपखण्ड (6)(बी)(ii) का क्रमांक पुर्ननिर्धारित कर ''वर्तमान स्तर पर आधारित होगा'' इस वाक्यांश के पश्चात् निम्नलिखित को जोड़कर (6)(बी)(iii) के रूप में प्रतिस्थापित किया जावे।

''इसकी गणना औसत लागत विधि के आधार पर प्रतिसहायता वर्ग के उपभोक्ताओं के लिए ऐसी वोल्टेज आपूर्ति के लिए औसत टैरिफ और अनुज्ञप्तिधारी के लिए आपूर्ति की औसत लागत का अंतर लेकर प्राप्त की जावेगी ।''

17. प्रधान विनियम के खण्ड 11 के उपखण्ड (8) को विलोपित किया जावे।

18. प्रधान विनयम के खण्ड 11 के उपखण्ड (9),(10) और (11) को पुनः क्रमांकित कर (8)(9) और (10) पढ़ा जावे।

19. **प्रधान विनियम के** खण्ड 11 के उपखण्ड (10) के पश्चात् नये उपखण्ड (11) और (12) निम्नानुसार जोड़े जावेः–

''(11) वितरण के सभी मुक्त उपयोग ग्राहक आयोग द्वारा समय–समय पर निर्धारित प्रभारों को भुगतान कर मंडल/अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपलब्ध आधार व्यवस्था के माध्यम से विद्युत प्राप्त कर सकेंगे।

(12) सभी मुक्त उपयोग ग्राहक, मुक्त उपयोग संविदा के अधीन देय प्रभारों का भुगतान उस संविदा में दर्शित मुक्त उपयोग के प्रारंभ होने के दिनांक से, तब के सिवाय, जबकि संबंधित अनुज्ञप्तिधारी, जिसका नेटवर्क उपयोग में लाया जा रहा हो, की गलती के कारण मुक्त उपयोग की प्राप्ति असफल रही हो, करेंगे, भले ही मुक्त उपयोग सुविधा का वास्तविक उपयोग किया गया हो या नहीं।''

20. प्रधान विनियम के खण्ड 12 का अंतिम परंतु निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जावेः–

''परंतु यह और भी, कि ऐसे समय जब आयोग द्वारा संतुलन एवं व्यवस्थापन संहिता अनुमोदित की जावे, तब ऊर्जा और मांग के संतुलन के लिए आयोग द्वारा यथा निर्धारित निबंधन एवं शर्तें और विद्यमान अंतरिम आदेश आगे भी जारी रहेंगे।''

21. प्रधान विनियम के खण्ड 13 का उपखण्ड (1) (बी) विलोपित किया जावे ।

22. प्रधान विनियम के खण्ड 13 के उपखण्ड (1)(सी)(डी)(ई)(एफ)(जी)(एच)(आई)(जे) एवं (के) को पुनः क्रमांकित कर उपखण्ड (1)(ए)(बी)(सी)(डी)(ई)(एफ)(जी)(एच)(आई) एवं (जे) पढ़ा जावें ।

23 प्रधान विनियम का खण्ड 13 का उपखण्ड (2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जावेः–

''(ए) अल्पावधिक मुक्त उपयोग के लिए आवेदन पत्र (अनुलग्नक क्रमांक 1) नोडल अधिकरण द्वारा पदांकित नोडल अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा ।

(बी) आवेदन पत्र के साथ रू. 1000/– आवेदन पंजीयन शुल्क के रूप में ऐसी रीति से जो नोडल अधिकरण द्वारा तय की जावे, देय होगा । यह राशि वापसी नहीं होगी ।

(सी) नोडल अधिकारी अल्पावधिक मुक्त उपयोग के साध्यता का परीक्षण राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी/राज्य भार प्रेषण केन्द्र और/या वितरण अनुज्ञप्तिधारी के संबंधित अधिकारी से सलाह करने के पश्चात् करेगा और सामान्यतया आवेदन का निपटारा चार दिनों में करेगा परंतु, यह अवधि किसी भी दशा में सात दिनों से अधिक नहीं होगी ।

(डी) साध्यता स्थापित हो जाने के पश्चात् और संविदा के निष्पादन के पूर्व रू. 10,000/– (रूपये दस हजार) की कुल राशि नोडल अधिकरण द्वारा निर्धारित रीति से मुक्त उपयोग संविदा शुल्क के रूप में देय होगी ।

(ई) अल्पावधिक या दीर्घकालिक मुक्त उपयोग ग्राहक द्वारा आरक्षित क्षमता अन्यों को हस्तांतरित नहीं की जावेगी ।''

24. प्रधान विनियम के खण्ड 13 के उपखण्ड (4) और (5) विलोपित किया जावे ।

25. **प्रधान विनियम के** खण्ड 13 के विद्यमान उपखण्ड (6) को उपखण्ड (4) के रूप में पुनर्क्रमांकित करते हुए निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जावे :–

''(4) सारिणी बनाना :–

(ए) राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा संचालन किये जाने के उद्देश्य से सारिणी बनायी जावेगी।

(बी) सारिणी बनाने के लिए विस्तृत आवेदन राज्य भार प्रेषण केन्द्र को प्रतिदिन अपरान्ह् 3.00 बजे तक भेजा जावेगा । यदि आवेदित मुक्त उपयोग बिना संकुलता कारित किए धारित की जा सकती हो तो राज्य भार प्रेषण केन्द्र उसे अपनी सारिणियों में सम्मिलित करने हेतु कदम उठाएगा ।

(सी) सारिणी बनाने के लिए विस्तृत आवेदन को राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा सायं 5. 00 बजे प्रथम प्रेषण सारिणी जारी होने के पश्चात् बचत क्षमता की जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त किया जावेगा । ऐसा आवेदन 10.00 बजे तक या उसके पूर्व प्राथमिकता के साथ प्रस्तुत करना होगा ।

(डी) संविदा में निर्धारित प्रेषण या आहरण से विचलन हेतु प्रभारों का निर्धारित 15 मिनट के अवधि खण्डों के आधार पर किया जावेगा न कि औसत उपभोग/अंतःक्षेपण के आधार पर ।''

26. प्रधान विनियम के खण्ड 14 के उपखण्ड (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जावे :–
''मुक्त उपयोग ग्राहक राज्य पारेषण उपक्रम/संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों, उत्पादकों और अन्यों, जो लागू हो, के साथ संविदा करेगा ।''

27. **प्रधान विनियम के** खण्ड 14 का उपखण्ड (2) और (3) विलोपित किया जावे ।

28. **प्रधान विनियम के** खण्ड 14 के उपखण्ड (4) (5) (6) को (2) (3) (4) द्वारा पुनः क्रमांकित किया जावे ।

29. प्रधान विनियम के विद्यमान खण्ड 18 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जावेः–

<u>मीटरिंग</u>

(1) मुख्य मीटर और जाँच मीटर के लिए दोनों सिरों, अर्थात् अंतःक्षेपण बिन्दु और आहरण बिन्दु पर मीटरीकरण उसी प्रकार किया जावेगा, जैसा कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकारी (मीटरों की स्थापना एवं संचालन) विनियम 2006 में विनिर्दिष्ट है। सभी मीटर और मापन से संबंधित सभी प्रबंध समय–समय पर यथा संशोधित इन विनियमों और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रिड संहिता, 2007 से अधिशासित होंगे ।

(2) मुक्त उपयोग ग्राहक दोनों सिरों अर्थात् अंतःक्षेपण बिन्दु और आहरण बिन्दु पर मुख्य मीटर के रूप में ए.बी.टी के अनुरूप विशेष ऊर्जा मीटर स्थापित करेगा। वह इन मीटरों के कार्य न करने अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर उन्हें प्रतिस्थापित करने हेतु उत्तरदायी होगा ।

(3) मुक्त उपयोग ग्राहकों/उपभोक्ताओं को अनुज्ञप्तिधारी को बिलिंग के लिये और एस.एल. डी.सी. के संचालन हेतु, वास्तविक समय के आंकड़े, दूरसंचार लीज लाईन द्वारा या व्ही. सेट या जी.एस.एम. तकनीक के माध्यम से स्थानांतरित करने के लिये संभार सुविधा युक्त साफ्टवेयर उपलब्ध कराना होगा।

(4) मुख्य और जाँच मीटर हमेशा अच्छी स्थिति में बनाये रखे जावेंगे और नोडल अभिकरण द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा निरीक्षण हेतु खुले रखे जावेंगे। मुख्य और जाँच मीटर में समान विशेषताएं होनी चाहिए।

(5) मुख्य और जाँच मीटर, संबंधित अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सम्मिलित दूसरे पक्ष की उपस्थिति में निश्चित समय के अंतराल में जांचे व परखे जावेंगे। मुख्य व जांच मीटर दोनों पक्षों द्वारा मुहर बंद किये जावेंगे। विकृत मीटर तत्काल स्थानापन्न किये जावेंगे।

(6) मुख्य तथा जांच मीटर का वाचन, संबंधित अनुज्ञप्तिधारी के अधिकारी और इस उद्‌देश्य के लिए अधिकृत उत्पादक तथा ग्राहक या उसके प्रतिनिधि, जैसा भी मामला हो, द्वारा निश्चित समय के अंतराल में नियत किसी दिन व समय पर लिया जावेगा। मीटर वाचन से नोडल अभिकरण, मुक्त उपयोग ग्राहक, और उत्पादक कंपनी या व्यापारी, जैसा भी मामला हो, को मीटर वाचन से 12 घण्टो के भीतर, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अवगत कराया जावेगा।

(7) जब मुख्य मीटर विकृत या रूका हुआ पाया जावे, तब जांच मीटर के वाचन पर विचार किया जावेगा। मुख्य एवं जांच मीटर दोनों का शुद्धता के लिए परीक्षण किया जावेगा। यदि मुख्य और जांच दोनों मीटरों के वाचन में अंतर, सुसंगत शुद्धता वर्ग के लिए मान्य त्रुटि के प्रतिशत से दुगना या उससे अधिक हो,तो मीटर विकृत माने जावेंगे और उन्हें तत्काल बदलना होगा।

(8) दोनों मीटर सेवा बाह्य होने की दशा में,मीटरों के प्रतिस्थापन तक कोई संव्यवहार नही किया जावेगा। ऐसे मामलों में, जहाँ ऐसी मध्यवर्ती समयावधि में विद्युत ली जाती है, वहाँ उसका मूल्यांकन, छ.ग.वि.मं. की विद्यमान प्रक्रिया के अनुसार अथवा आयोग द्वारा जारी सुंतलन तथा व्यवस्थापन संहिता के अनुसार किया जावेगा।

30. प्रधान विनियम के खण्ड 19 के उपखण्ड (1) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जावेः–

मुक्त उपयोग ग्राहक आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 62 के अधीन समय–समय पर पारित अपने टैरिफ आदेश में यथा अनुमोदित ऊर्जा क्षय, जो पारेषण तंत्र और/या वितरण तंत्र में हो, वहन करेंगे। पारेषण और वितरण तंत्र में होने वाले ऊर्जा क्षय की भरपाई अंतःक्षेपण बिन्दुओं पर अतिरिक्त ऊर्जा अंतःक्षेपित कर की जावेगी।

जहां किसी मुक्त उपयोग ग्राहक के लिए अंतःक्षेपण बिंदु और आहरण बिंदु विभिन्न वोल्टेज स्तरों के हों वहां वस्तु के रूप में देय प्रभार, अंतःक्षेपण बिंदु पर प्रचलित तकनीकी क्षति का 50% और आहरण बिंदु पर प्रचलित तकनीकी क्षति का 50%, जो निम्न वोल्टेज पर तत्समय देय प्रभारों से कम नहीं होंगे ।

31. प्रधान विनियम के खण्ड 13 के उपखण्ड (3) (बी) तथा खण्ड 22 के उपखण्ड (3) (xi) के शब्द एस.टी. दर को शब्द एस.टी.टी.सी. से प्रतिस्थापित किया जावे।

टीपः– इस विनियम के हिन्दी संस्करण की अंग्रेजी संस्करण से प्रावधानों की व्याख्या या समझने में अंतर होने की दशा में, अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) का तात्पर्य सही माना जावेगा और इस संबंध में किसी विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

आयोग के आदेशानुसार,

सही/–
(एन.के.रूपवानी)
सचिव